# झारखण्ड विधान सभा

## अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

**चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा**
**पंचम (बजट)-सत्र**
**वर्ग-03**

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक- 19 फाल्गुन, 1937 (श0) / 09 मार्च, 2016 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

| क्रमांक | विभागों को भेजी गई सां0 सं0 | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 146. | अ0सू0-23 | श्री राधाकृष्ण किशोर | पथों की मरम्मति | ग्रामीण विकास | 04.03.16 |
| 147. | अ0सू0-17 | श्री प्रदीप यादव | गबन की राशि को वापस करना। | नगर विकास | 25.02.16 |
| 148. | अ0सू0-16 | श्री प्रदीप यादव | कार्य को सम्पन्न कराना। | पथ निर्माण | 22.02.16 |
| 149. | अ0सू0-24 | श्री राधाकृष्ण किशोर | मालवाहक वाहन का परिचालन | पथ निर्माण | 04.03.16 |

उत्तर संलग्न
उत्तर संलग्न
उत्तर संलग्न
उत्तर संलग्न

राँची
दिनांक-09 मार्च, 2016 ई0।

**बिनय कुमार सिंह**
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-05/15-2070/वि0स0, राँची, दिनांक- 08 मार्च, 2016 ई0।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ नेता विरोधी दल, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

06.03.16

(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

कृ0पृ030/

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-05/15-2070/वि0स0, राँची, दिनांक- 06 मार्च, 2016 ई0।

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

06.03.16

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-05/15-2070/वि0स0, राँची, दिनांक- 06 मार्च, 2016 ई0।

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

06.03.16

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

05/03/16

एक्का/-

146

मा0 स0वि0स0 श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23 का उत्तर सामग्री :–

| प्रश्नकर्ता | उत्तरदाता |
|---|---|
| श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 | श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) |
| 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य गठन के वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2015 तक राज्य में कुल 21562 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है; | स्वीकारात्मक।<br><br>(वस्तुस्थिति यह है कि अबतक कुल 22902 कि0मी0 ग्रामीण संपर्क पथों का निर्माण किया जा चुका है।) |
| 2. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित ग्रामीण सड़कों में 15000 किलोमीटर सड़कों की स्थिति रख–रखाव के अभाव में अत्यंत खराब हो गई है, जिसकी मरम्मति मजबूतीकरण एवं सुदृढ़िकरण आवश्यक है; | आंशिक स्वीकारात्मक। |
| 3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि खंड–II में वर्णित पथों की मरम्मति कब तक कराना चाहती है? | सरकार पथों के रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु सरकार गंभीर है। पथों के रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु सरकार के द्वारा मरम्मति नीति 2015 बनाई गई है जिसके आलोक में आवश्यकता अनुसार पथों का रख–रखाव किया जा रहा है। |

झारखण्ड सरकार
**ग्रामीण विकास विभाग**
**(ग्रामीण कार्य मामले)**

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–420 / 16 ग्रा0का0वि0 1250 राँची / दिनांक– 08.3.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 05 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2014, दिनांक – 04.03.16 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–420 / 16 ग्रा0का0वि0 1250 राँची / दिनांक– 08.3.16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–420 / 16 ग्रा0का0वि0 1250 राँची / दिनांक– 08.3.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

147

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अ0सू0 प्रश्न–न–17 का उत्तर :–

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि 27 शहरों के लिए करोड़ों रूपये की लागत से तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान में परामर्शी कपंनी मार्स प्लानिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी प्रा0लि0 द्वारा समर्पित प्लान के 18 मास्टर प्लान में ढेरों खामियाँ पायी गई है; | आंशिक स्वीकारात्मक है।<br>वस्तुस्थिति यह है कि मेसर्स मार्स प्लानिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी प्रा0लि0 नामक परामर्शी को 18 निकायों का मास्टर प्लान तैयार करने का दायित्व दिया गया है।<br>परामर्शी द्वारा प्रथम चरण में समर्पित ड्राफ्ट मास्टर प्लान में कतिपय खामियां पाई गई हैं। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कम्पनी द्वारा ढेरों खामियों के बावजूद भी विभाग के पदाधिकारियों की सांठ–गांठ से उपरोक्त कम्पनी को बचाया गया है; | अस्वीकारात्मक है। |
| 3. | यदि उपरोक्त सभी खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त कम्पनी को काली सूची में डालते हुए भुगतान किए गए राशि को वापस करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ? | अस्वीकारात्मक है।<br>उपर्युक्त प्रसंग में स्पष्ट करना है कि प्रथम चरण के ड्राफ्ट मास्टर प्लान में पाई गई खामियों के निराकरण हेतु निदेशक, नगरीय प्रशासन के स्तर से दिनांक–08.01.16 को समीक्षा बैठक कर विभागीय पत्रांक–139 (अनु0), दिनांक–08.01.16 द्वारा परामर्शी को ड्राफ्ट मास्टर प्लान में पाई गई खामियों के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है। |

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5 / न0वि0 (अल्पसूचित)–40 / 2016 1300 राँची, दिनांक– 9/3/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञा0सं0–1499, दि०–25.02.16 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(148)

**मा0, स0वि0स0, श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – 16 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तरदाता<br>माननीय मंत्री, प0नि0वि0<br>उत्तर |
|---|---|
| क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – | |
| 1. क्या यह बात सही है कि पथ प्रमंडल जामताड़ा के पांच पथों यथा (i) जामताड़ा – करमाटांड – लहरजोरी पथ (ii) जामताड़ा से निरसा (iii) वेवा बाय पास (iV) अंगुठिया मोड़ से बाबूपुर पथ एवं (v) घोटला मोड़ से नाला पथ निर्माण KCPL कम्पनी हैदराबाद 180 करोड़ का काम वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिया गया है ; | स्वीकारात्मक । |
| 2. क्या KCPL कम्पनी हैदराबाद उपरोक्त पथ निर्माण कार्य स्वयं नहीं कर किसी अन्य एजेंसी को आवंटित किया है जिस कारण काम समय अवधि समाप्त होने के बाद भी अबतक औसतन 30 प्रतिशत भी काम पूरा नहीं हुआ है ; | मेसर्स KCPL कम्पनी हैदराबाद द्वारा अन्य एजेंसी को कार्य आवंटन संबंधी किसी प्रकार की सूचना नहीं है । यह सही है कि कार्य की प्रगति समानुपातिक नहीं है एवं कार्य की प्रगति धीमी है। इसलिए संवेदक को नया कार्य लेने से Debar (डिबार) गिया गया है, ताकि इस कार्य में ही अपने संसाधनों का उपयोग कर कार्य पूर्ण कराया जा सके । |
| 3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कामों को पूरा करने के लिए उक्त कम्पनी को कई एकड़ पत्थर खदान लीज दिया गया है जिसका उपयोग पथ निर्माण में नहीं कर उसे अवैध रूप से बेचकर कमाई का जरिया बनाया है ; | यह पथ निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है । |
| 4. उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कार्य को समय पर सम्पन्न कराना चाहतीयदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ? | भू–अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य के साथ कार्य त्वरित गति से सम्पन्न कराया जाएगा । |

**झारखण्ड सरकार**
**पथ निर्माण विभाग, राँची ।**

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–03/2016 1578(1) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1358 दिनांक 22.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
07/03/2016
**सरकार के अवर सचिव,**
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–03/2016 1578(1) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
07/03/2016
**सरकार के अवर सचिव,**
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

143

**मा0, स0वि0स0, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 24 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तरदाता<br>माननीय मंत्री, प0नि0वि0<br>उत्तर |
|---|---|
| क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – | |
| 1. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग के अधीन कुल पथों को 33 प्रतिशत पथ खनन तथा औद्योगिक क्षेत्र से गुजरता है ; | स्वीकारात्मक । |
| 2. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित औद्योगिक और खनिज क्षेत्र से गुजरने वाले पथों पर भारी मात्रा में तथा अनियमित रूप से माल ढुलाई के कारण पथों की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई है ; | पथों में अनियमित रूप से माल ढुलाई यथा Over Loading इत्यादि के कारण पथ क्षतिग्रस्त होते हैं । |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जर्जर सड़कों की मरम्मति तथा उक्त पथों पर माल ढुलाई वाले वाहनों के नियमानुसार परिचालन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों? | विभाग द्वारा समय–समय पर पथों की मरम्मति एवं रख–रखाव किया जाता है ।<br>पथों में परिचालन एवं उसके नियम का पालन पथ निर्माण विभाग का विषय नहीं है। यह परिवहन विभाग से संबंधित है । |

**झारखण्ड सरकार**
**पथ निर्माण विभाग, राँची ।**

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–05 / 2016 1585(1) राँची / दिनांक : 8/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2015 दिनांक 04.03.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
08/03/16
**सरकार के अवर सचिव,**
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–05 / 2016 1585(1) राँची / दिनांक : 8/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
08/03/16
**सरकार के अवर सचिव,**
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।